न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2020/00134

मुकदमा नम्बर पुराने 10/2014 व 15/2016 नये नम्बर 03/2020

दायर दिनांक–01.10.2021

1. बालूराम पुत्र पन्नाराम जाति ब्राहमण निवासी फतेहसरी तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
2. मोहित कुमार पुत्र स्व. औंकारमल (फौत)
   2/1 श्रीमती निधि देवी पत्नी मोहित कुमार
   2/2 नत्थू पुत्र मोहित जरिये संरक्षक माता श्रीमती निधि देवी पत्नी मोहित कुमार
   2/3 पारस पुत्र मोहित जरिये संरक्षक माता श्रीमती निधि देवी पत्नी मोहित कुमार
3. सुशीला पत्नी स्व. औकारमल जाति ब्राहमण निवासी फतेहसरी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.....आवेदकगण

बनाम

1. प्रेमसिह पुत्र स्व. रामेश्वर सिह
2. रतन सिंह पुत्र स्व रामेश्वर सिह
3. इमरती देवी पत्नी स्व. रामेश्वर सिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम फतेहसरी तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

.....अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री तरूण मिन्तर
अनावेदक सं. 1 लगा. 3 – श्री विनोद सिंह शेखावत
अनावेदक सं. 4 :– पेरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–03/11/2025

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम फतेहसरी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 70 रकबा 2.07 है0 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 73 रकबा 2.01 है0 में से एक रास्ता सुण्डा का बास से पुनिया का बास की और जाता है, जो एक्स से वाई बिन्दु से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 73 की पश्चिमी सीमा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

के सहारे–सहारे खसरा नं. 70 की दक्षिणी सीमा तक जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से दिखाये गये ए से बी बिन्दू तक 15 फीट चोडा रासता दिलाया जावें तथा यह रास्ता राजस्व नक्शे मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अना. सं. 4 की और से पैरो.राज. उपस्थित। अनावेदक सं. 1 लगा. 3 जरिये वकील उपस्थित हो जवाब प्रा. पत्र निम्न प्रकार से पेश किया:–

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 70 होना स्वीकार है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 72 व 73 सुण्डा का बास से पुनिंया का बास जाने वाले कटाणशुद्वा रास्ते अवस्थित है, जा सिंचित भूमि है जिसके चारो और मेड है। खसरा नं. 70 मे खसरा नं. 73 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे न तो प्रार्थी का आना जाना रहा है और न कोई पगडण्डी कभी रही है। अगर पूर्व मे कोई पगडण्डी होती तो अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवरोध हटाने के लिये प्रा. पत्र प्रस्तुत करते। प्रा. पत्र गलत आधारों पर पेश किया है इसलिये प्रा. पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थीगण खसरा नं. 41 व खसरा नं. 247/41 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे अपने परिवार की भूमि होने से हमेशा से आते जाते है, जिसको पूर्व मे भी तहसीलदार द्वारा खोला गया था। प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य को छुपाया है। अप्रार्थीगण/जवाबदेहन्दागण की खातेदारी की भूमि में न तो कोई पगडण्डी अथवा कोई रास्ता कभी भी नही रहा, इसलिये प्रा. पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब देहन्दा की भूमि में कटाणशुद्वा रास्ता होना स्वीकार है परन्तु खसरा नं. 73 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण का अल्अरनेटिव रास्ता भूमि खसरा नं. 41 व खसरा नं. 247/41 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे भूमि खसरा नं. 70 में आता जाता है। प्रार्थीगण के पास विकल्प मे रास्ता मौजूद है, इसलिये कानूनन नया रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रा. पत्र खारीज किया जावे। अतः जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रा. पत्र खारीज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ कि तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2020/281 दिनांक 4/03/2021 पेश है, जिसके अनुसार खसरा नं. 70 व 246 की खातेदारी बालूराम पुत्र पनाराम जाति ब्राहमण के नाम व ख.नं. 356व 288/71 की खातेदारी मोहित कुमार पुत्र औकारमल, सुशिला देवी पत्नी औंकारमल के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं. 72 व 73 की खातेदारी प्रेमसिंह, रतन सिंह पिता रामेश्वर सिंह , इमरती पत्नी रामेश्वर सिंह जाति जाट के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ख.नं. 73 की दक्षिणी सीमा के सहारे व आगे ख.नं. 41/2. 34 की पूर्वी सीमा के सहारे ख.नं. 247/71 की दक्षिणी सीमा तक रास्ता चालू है। ख.नं. 247 की खातेदारी बिमला देवी पत्नी गोकलचन्द ब्राहमण के नाम दर्ज है। वर्तमान मे प्रा.पत्र अनुसार आवेदक ख.नं. 73 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 15 फीट चोडा रास्ता चाहता है। ख.नं. 247 की पूर्वी सीमा पर भी रास्ता निकल सकता है। ग्राम फतेहसरी के ख.नं. 72, व 73 पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की निगरानी टी.एस. 6611/2017 का स्थगन है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

बहस वकील उभय पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी ने खसरा नं. 247/71 की पूर्वी सीमा पर पूर्व से आवेदकगण का आना जाना बताते हुये तथा खसरा नं. 73 का सिचित होने इत्यादी का हवाला देते हुये प्रा. पत्र खारीज किये जाने का निवेदन कियां।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा ए से बी बिन्दू तक खसरा नं. 73 मे से रास्ता चाहा था तथा अपने प्रा.पत्र में खसरा नं. 73 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि आवेदक के पास खसरा नं. 247/71 में से भी मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक राजस्व/2020/281 दिनांक 4/03/2021 से भी रास्ता लिये जाने का विकल्प उपलब्ध है जो नजरी नक्शा के अवलोकन करने पर अधिक सुगम, लघुतम व निकटतम है तथा प्रार्थी को रास्ता उक्त भूमि से मिलता है तो कम डीएलसी दल पर देय होगा। परन्तु आवेदक द्वारा खसरा नं. 247/41 में से रास्ते का अनुतोष नही चाहा है और न ही अपने प्रा. पत्र में 247/41 के खातेदारों को पक्षकार बनाकर पेश किया गया है। धारा 251 (क) आर.टी.ए. के तहत रास्ता सुविधा के लिए नही दिया जा सकता है। निकटतम एंव लघुतम रास्ता जिससे देने से कम से कम कृषि भूमि का नुकसान हो और प्रार्थी को रास्ते की परमआवश्यक्ता तो ही रास्ता दिया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र तुलनात्मक रूप से पोषणीय व न्यायोचित नही है।

लिहाजा प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू